

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : पारस कुंवर

बनाम

प्रतिवादी : जोधसिंह

किस्म मुकदमा : वाद

प्रकरण संख्या : 09/21

दिनांक: 14.06.2024

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण बहस हेतु काफी समय से लम्बित है। पूर्व में भी वादी अधिवक्ता को कई अवसर दिए जा चुके हैं, किन्तु वादी द्वारा बहस नहीं की गई ना ही पैरवी हेतु उपस्थित हुए। न्यायालय द्वारा रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई, किन्तु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए ना ही न्यायालय समय के अन्त तक उपस्थित हुए। जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है एवम् उक्त वाद में प्रभावी पैरवी नहीं करना चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के अर्न्तगत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.  
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.  
गिर्वा-उदयपुर